न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) गोण्डा।

उपस्थितः आलोक शर्मा----(एच0जे0एस0) आई.डी.नम्बर–यू.पी.1751

CNR No.- UPGD010040952018

विशेष सत्र परीक्षण सं0–128/2018

राज्य प्रति पिन्टू सिंह पुत्र रामकैलाश सिंह,
निवासी बसेरिया, कनपुरियन पुरवा, थाना–करनैलगंज
जिला गोण्डा।

मु0अ0सं0–159/2018
धारा–323,504,506 भा0दं0सं0
व 3(1) द, ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट
थाना–करनैलगंज, जिला गोण्डा।

निर्णय

1– अभियुक्त **पिन्टू सिंह** के विरूद्ध थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–159/2018, धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट थाना–करनैलगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रेषित आरोप पत्र पर विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी/प्रार्थिनी श्रीमती सूरसती की ओर से तहरीर **प्रदर्श क–1** प्रभारी निरीक्षक थाना करनैलगंज के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि ''प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की गरीब महिला है। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थिनी को उसके गांव के पिन्टू सिंह पुत्र रामकैलाश सिंह आये दिन मारते पीटते हैं व उसके लड़को व लड़की को भद्दी–भद्दी गाली देते रहते हैं जिसक सूचना प्रार्थिनी ने दिनांक 19.04.2018 को श्रीमान जी से जरिये प्रार्थना पत्र दिया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपक्षी रोज प्रार्थिनी को धमकी देता है तथा कहता है कि तहरीर देकर विवाद लिया अब तुम्हें जान से मार डालेंगे।'' उक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3– वादिनी मुकदमा के उपरोक्त तहरीर प्रार्थना पत्र **(प्रदर्श–क–1)** के आधार पर थाना–करनैलगंज जिला–गोण्डा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–25.04.2018 को समय 13:00 बजे मुकदमा अपराध संख्या–159/2018, अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा.दं.सं. व 3(1) द,ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट के तहत पिन्टू सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जिसका तस्करा कायमी जी०डी० नं०–35 दिनांकित– 25.04.2018 को समय 13:00 बजे के रूप में किया गया तथा विवेचना संबंधित थाने के विवेचक को सौंपी गयी।

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.15 10:37:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल की नक्शा नजरी **(प्रदर्श क–5)** तैयार किया गया। दौरान विवेचना एकत्रित किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **पिन्टू सिंह** के विरूद्ध मु0अ0सं0–159/2018 धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट के तहत आरोप पत्र **(प्रदर्श–क–6)** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त **पिन्टू सिंह** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। जिस पर सत्र परीक्षण वाद संख्या–128/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6– न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, गोण्डा द्वारा दिनांक–29.11.2019 को अभियुक्त **पिन्टू सिंह** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट के तहत विरचित किया गया। अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम	विवरण
पी0डब्लू0–1	सूरसती	वादिनी मुकदमा/चोटहिल
पी0डब्लू0–2	केशव	चक्षुदर्शी
पी0डब्लू0–3	अजय कुमार	वादिनी मुकदमा का पुत्र
पी0डब्लू0–4	डा0 आफताब आलम	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–5	कां0 अश्वनी कुमार	चिक एफ.आई.आर. लेखक
पी0डब्लू0–6	क्षेत्राधिकारी जटाशंकर राव	विवेचक

8– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रपत्र का नाम	किसने साबित किया
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	मजरूबा सूरसती की आघात आख्या	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–3	चिक एफ.आई.आर.	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–4	नकल कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–6

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित किये गये साक्षियों का साक्ष्य निम्नवत है, उनके जिरह में किये गये कथन को यथास्थान उल्लिखित किया जायेगा।

10– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सूरसती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं अनुसूचित जाति की कोरी बिरादरी की हूॅ तथा मुल्जिम पिंटू सिंह गैर अनुसूचित जाति के क्षत्रिय हैं। घटना आज से लगभग ढाई तीन साल पूर्व समय रात्रि 12 बजे की है, उस समय हम परिवार वाले खाना खा रहे थे, इतने में एक व्यक्ति अपना मुंह कपड़े से ढककर आया और हम लोगों को मारने पीटने लगा। रात होने के कारण हम लोग पहचान नहीं पाये कि किसने हम लोगों को मारा पीटा। हाजिर अदालत अभियुक्त पिंटू सिंह को देखकर गवाह ने कहा कि इन्होंने मुझे न तो कभी मारापीटा न कभी गाली गुप्ता दिया है और न ही कभी जान से मारने की धमकी ही दिया है। मैं पढी लिखी नहीं हूॅ। गवाह को तहरीर पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3क/3 दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि एक आदमी ने तहरीर लिखकर उस पर मेरा निशानी अंगूठा लगवाया था लेकिन मुझे पढ़कर सुनाया नहीं था न ही मुझे ये मालूम है कि तहरीर में क्या लिखा गया था। तहरीर पर बने अपने निशानी अंगूठा की गवाह ने तस्दीक किया, इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। सी.ओ. साहब ने हमसे पूंछताछ किया था।

11– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–2 केशव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''सूरसती पत्नी बेंचई प्रसाद मेरे गांव की निवासी है जो अनुसूचित जाति की कोरी बिरादरी की है। मुल्जिम पिन्टू सिंह मेरे गांव के हैं जो गैर अनुसूचित जाति के ठाकुर हैं। मेरे सामने पिंटू सिंह ने सूरसती को कभी मारे पीटे नहीं है और ना ही मेरे सामने पिंटू सिंह ने सूरसती या उनके परिवार वालों को कभी जातिसूचक गाली ही दी, ना ही जान से मारने की धमकी दिया। कथित घटना के बारे में सी.ओ. साहब ने मुझसे कोई पूंछतांछ नहीं की न मेरा कोई बयान लिया।

12– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–3 अजय कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वादिनी सूरसती मेरी मां है जो अनुसूचित जाति की कोरी बिरादरी की हैं। मुल्जिम पिंटू सिंह ठाकुर जाति के है और मेरे गांव के हैं। घटना करीब सात वर्ष पहले रात के करीब 12 बजे की है। घटना के समय मैं घर नहीं था। बाहर कहीं गया था, घ ाटना मैंने अपनी आंखो से नहीं देखा है। इसलिये घटना की कोई जानकारी मुझे नहीं है। मुल्जिम पिंटू सिंह ने मेरे सामने मेरी मां सुरसती को ना तो जाति का नाम लेकर गाली दिया था, ना ही मारा पीटा था, ना ही जान से मारने की धमकी दिया था। पुलिस के किसी अधिकारी ने न तो मुझसे पूंछतांछ किया था, न ही बयान लिया था।

13– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–4 डा0 आफताब आलम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.04.2018 को इमरजेन्सी मेडिकल आफिसर के पद पर सी.एच.सी. करनैलगंज गोण्डा पर डयूटी पर था और उसी दिनांक पर थाने के होमगार्ड शिव किशोर तिवारी द्वारा मजरूबा श्रीमती सुरसती पत्नी स्व0 बेचई को मेडिकल हेतु लाया गया था। जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा 1:20 पी.एम. पर किया गया था। चोटों का विवरण– शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी, पूरे शरीर पर दर्द की शिकायत चोटों की वजह से बताया था। राय–चोटों की गैर मौजूदगी न होने की वजह से कोई राय नहीं दी

गयी थी। मेडिकल रिपोर्ट में वर्णित दर्द की शिकायत मूका के मारने से आ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार कर मजरूबा का टी.आई. लेकर प्रमाणित किया था और अपने हस्ताक्षर से स्वयं को स्वहस्ताक्षरित किया था। मेडिकल रिपोर्ट 4क/8 संलग्न पत्रावली है। जिसे गवाह ने देखकर पढ़कर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

14– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–5 कां0 अश्वनी कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक–25.04.2018 को थाना करनैलगंज, जिला–गोण्डा में सी.सी.टी.एन. एस. के पद पर तैनात था उस दिन वादिनी श्रीमती सुरसती पत्नी स्व० बेचई प्रसाद निवासिनी बसेरिया कनपुरियन पुरवा, थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा की लिखित तहरीर प्राप्त होने पर उस पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियोग पंजीकृत करने संबंधी आदेश पारित किये जाने पर मेरे द्वारा तहरीर की अक्षरशः नकल करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट समय 13.00 बजे कम्प्यूटर पर अपराध संख्या–159/2018, थाना–करनैलगंज, धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम पिन्टू सिंह पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा कायमी जी.डी. संख्या–35 दिनांक–25.04.2018 समय 13 बजे मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/2 है, जिस पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक का हस्ताक्षर व थाने की मुहर अंकित है तथा कायमी कायमी जी.डी. शामिल पत्रावली कागज संख्या–4 क/5 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर अंकित है, की मैं अपने द्वारा तैयार किये जाने की पुष्टि करता हूँ, जिस पर क्रमश **प्रदर्श क–3** व **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

15– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी संख्या–6 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी जटाशंकर राव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक–25.04.2018 को क्षेत्राधिकारी करनैलगंज, के पद पर कार्यरत था, उस दिन मु०अ०सं०–159/2018, धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम पिन्टू सिंह की विवेचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा नं०–1 किता करते हुए अवलोकन नकल चिक, अवलोकन नकल रपट कर उसकी अंकना केस डायरी में किया तत्पश्चात् थाना करनैलगंज जाकर लेखक एफ.आई.आर. कां० अश्वनी कुमार का बयान अंकित किया। पर्चा नं०–2 दिनांक–28.04.2018 को किता करते हुए वादिनी के गांव जाकर वादिनी मुकदमा श्रीमती सुरसती का बयान अंकित किया, तत्पश्चात् वादिनी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके मौके पर नक्शा नजरी अपने निर्देशन में बोल–बोलकर अपने मुंशी से तैयार कराया था, सहवन त्रुटिवश नक्शा नजरी पर हस्ताक्षर करना छूट गया था, नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज संख्या–4 क/9 गवाह को जरिये वी०सी० दिखाया गया तो गवाह ने नक्शा नजरी की अन्तर्वस्तु की पुष्टी कि, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। तत्पश्चात पीड़िता/वादिनी के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकना किया तथा पेशी कार्यालय पर उपस्थित आये चश्मदीद गवाह अजय, केशव, श्रीमती कोयला का बयान अंकित किया।

तदोपरान्त अभियुक्त पिन्टू सिंह का बयान अंकित करने हेतु उसके विरूद्ध धारा 41ए सी.आर. पी.सी. की नोटिस जारी की गयी। केस डायरी का पर्चा नं०–3 दिनांक–05.05.2018 को किता किया गया, जिसमें सी.एच.सी. करनैलगंज जाकर डॉ० आफताब का बयान अंकित किया गया, तत्पश्चात् पेशी कार्यालय पर उपस्थित अभियुक्त पिन्टू सिंह का बयान अंकित किया गया। अब तक की विवेचना में संकलित साक्ष्य, बयान वादी व गवाहान, निरीक्षण घ ाटनास्थल व अवलोकन इंजरी रिपोर्ट से अभियुक्त पिन्टू सिंह पुत्र राम कैलाश निवासी बसेरिया, कनपुरियन पुरवा, थाना–करनैलगंज के विरूद्ध जुर्म धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाते हुए उक्त अभियुक्त पिन्टू सिंह के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर तैयार कराया गया था तथा आरोप पत्र की कम्प्यूटराइड प्रति पर मेरा हस्ताक्षर है आरोप पत्र की कम्प्यूटराइजड प्रति शामिल पत्रावली कागज संख्या–4 क/12 लगायत 4क/13 है जिसे जरिये वी0सी0 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने आरोप पत्र की अन्तर्वस्तु व उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

16– अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अन्य किसी साक्षीगण को प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।

17– बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव कथानक में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने घटना को सिरे से नकार दिया है, अन्य कोई स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षीगण के बयान से अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन नहीं होता है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा–3(1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट संदेह से परे साबित नहीं होता। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाए।

18– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षीगण के बयान से अभियोजन के कथानक का समर्थन होता है। साक्षीगण के बयान से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा–3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

19– मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूत का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

20– अभियुक्त **पिन्टू सिंह** के विरूद्ध आरोप इस आशय का विरचित किया गया है किः–

दिनांक–19.04.2018 को समय अज्ञात बहद ग्राम बसेरिया, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा में आपने वादिनी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया एवं गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया तथा यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है, को जातिसूचक गाली देकर अपमानित किया।

21— न्यायालय के समक्ष अब मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा–3(1) द,ध एस.सी. /एस.टी. एक्ट को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में कहाँ तक सफल रहा है?

22— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सूरसती जो कि प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक को सिरे से नकार दिया है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये जाने पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया** एवं न्यायालय की अनुमति से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने कहा है कि धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान मैंने नहीं दिया था, सी.ओ. साहब कैसे लिख लिये इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पिन्टू सिंह हम लोगों का मारते पीटते रहे हों। **यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते रहे थे। इस साक्षी से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया है, जिससे कि अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन होता हो।**

23— अभियोजन की ओर से घटना के अन्य **चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–2 केशव, ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक को सिरे से नकार दिया है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये जाने पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया** एवं न्यायालय की अनुमति से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने कहा है कि **दिनांक 19.04.2018 को मैं घर पर ही मौजूद था।** धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान मैंने नहीं दिया था, सी.ओ. साहब को कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कैसे मेरा बयान लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने घटना अपनी आंखो से देखा हो। **इस साक्षी से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया है, जिससे कि अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन होता हो।** इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कहा कि मैंने मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया है वह बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से दिया है।

24— अभियोजन की ओर से घटना के अन्य **चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–3 अजय कुमार, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक को सिरे से नकार दिया है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये जाने पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया** एवं न्यायालय की अनुमति से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने कहा है कि अदालत का समन पाकर गवाही देने आया हूँ। गवाह को उसका बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने मैंने ऐसा कोई बयान सी. ओ.साहब को नहीं दिया था, उन्होंने मेरा ऐसा बयान कैसे लिख लिया इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मुल्जिम से कोई विवाद नहीं है। **इस साक्षी से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गयी है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं**

आया है, जिससे कि अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन होता हो। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कहा कि मैंने अपना बयान बिना किसी दबाव के दिया है।

25– पक्षद्रोही साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में सुस्थापित विधि यह है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य उसके पक्षद्रोही घोषित किये जाने मात्र से समाप्त नहीं मानी जा सकती है, बल्कि उस साक्षी की साक्ष्य जहां तक कि वह अभियोजन कथानक का समर्थन कर रहा है, साक्ष्य में ग्राह्य माना जायेगा। पक्षद्रोही साक्ष्य के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संतोष उर्फ नेता खटीक बनाम उ०प्र० राज्य 2016(16) ए.सी.सी. 168** में अभिनिर्धारित किया गया है किः– "Law is settled on the point that even if the witness have been declared hostile, even then their evidence does not stand wiped out from the record and the Court would be lawful in seeking corroboration from the said evidence on any point where the evidence of such witness supports the case of the prosecution." विधि व्यवस्था **रोहिताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14 ए.सी.सी. 290 (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय** ने अभिनिर्धारित किया है किः– "It is a settled legal proposition that evidence of a prosecution witness can not be rejected in to] merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross examined him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced] or washed off the record altogether- The same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable, upon a careful scrutiny thereof." सुस्थापित विधि के अनुसार पक्षद्रोही साक्षीगण के साक्ष्य उस सीमा तक साक्ष्य में नहीं पढ़ी जा सकती है जिस सीमा तक वह अभियोजन पक्ष का समर्थन कर रहा हो तथा विश्वास हो, किन्तु ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अत्यन्त ध्यान एवं सतर्कता के साथ विश्लेषण करना चाहिए। उक्त सुस्थापित सिद्धान्त के प्रकाश में इस मामलें में परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि साक्षी पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2 व पी0डब्लू0–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के सम्पूर्ण बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य साक्षी पी०डब्लू०–4 डा0 आफताब आलम व पी0डब्लू0–5 कां0 अश्वनी कुमार एवं पी0डब्लू0–6 क्षेत्राधिकारी जटाशंकर, क्रमशः चिकित्सक, चिक एफ.आई.आर. लेखक व विवेचक होने के आधार पर औपचारिक साक्षी हैं, जिनके बयान अभियोजन कथानक में वर्णित तथ्यों को साबित कराने हेतु उचित नहीं है, क्योंकि वे घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

26– अभियोजन पक्ष की तरफ से घटना को साबित करने हेतु कोई ठोस व पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अभियोजन की तरफ से तथ्य के बिन्दु पर प्रस्तुत साक्ष्य से घटना का तथ्यात्मक पहलू साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य के सहारे अभियुक्त पिन्टू सिंह के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा. दं.सं. व धारा–3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

27— प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी०डब्लू०—1 वादिनी मुकदमा सूरसती द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान विचारण जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिए उसके विरूद्ध धारा—344 दं०प्र०सं० (धारा—383 बी.एन.एस.एस.) की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

28— फलतः चूंकि अभियोजन दाखिल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पिन्टू सिंह के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा—323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा—3(1) द,ध एस.सी./एस.टी. को युक्त—युक्त संदेह से परे साबित करा पाने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त पिन्टू सिंह आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा—323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा—3(1) द, ध एस. सी./एस.टी. में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **पिन्टू सिंह** को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए **सत्र परीक्षण संख्या—128/2018, मु0अ0सं0—159/2018, धारा—323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट, थाना—करनैलगंज, जिला गोण्डा** के अधीन लगाए गए आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा—437(ए) दं०प्र०सं० के अनुपालन में अपील किये जाने की दशा में वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु मु०—20,000/—रूपये के बन्ध पत्र व दो प्रतिभू दाखिल करेगा।

साक्षी पी०डब्लू०—1 वादिनी मुकदमा सूरसती द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान विचारण मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए उसके विरूद्ध धारा—344 दं०प्र०सं० (धारा—383 बी.एन.एस.एस.) की कार्यवाही हेतु दाण्डिक प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए।

(आलोक शर्मा)
दिनांक—13.07.2026 **विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,**
गोण्डा।
JO Code-UP1751

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।

(आलोक शर्मा)
दिनांक—13.07.2026 **विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,**
गोण्डा।
JO Code-UP1751